

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
देवरिया ।

सेवा में

प्रबन्धक

एस0बी0टी0 पब्लिक स्कूल बखरा,  
विशुनपुरा, गौरी बाजार, देवरिया

पत्रांक:परि0/मान्यता/ 8186-87

/2019 -20 दिनांक 17 दिसम्बर 2019

विषय : अशासकीय उ0प्रा0 वि0 (कक्षा -नर्सरी से 08 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

आपके प्रार्थना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मान्यता की नयी नियमावली के सन्दर्भ में निम्न प्राविधान है- "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी । इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सञ्ज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

उक्त के क्रम में आपके विद्यालय की जांच करायी गयी, जांचोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य सञ्ज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अस्थायी मान्यता आदेश संख्या-परिषद/क0लि0/मान्यता/11166-67/2015-16 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(ओम प्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
देवरिया

पृ0सं0:परि0/मान्यता/

/2019 -20 दिनांक वही।

प्रतिलिपि:-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
देवरिया